तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	19-6-17 उक्त प्रकरण किस सम्बन्ध में लोक अदालत आयोजित होने पर लेख कोर्ट में पेश हुआ है इस प्रकरण का मूल वाद में निस्तारित हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिये इस प्रा.पत्र द्वारा R.T.I. की कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रा.पत्र को लोक किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मुकदमा रजिस्टर हो। सहायक कलक्टर (SDO) खींवसर	